

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 485] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 22, 1979/अग्रहायण 1, 1901
No. 485] NEW DELHI, THURSDAY, NOV. 22, 1979/AGRAHAYANA 1, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

हस्तात, खान और कोयला मंत्रालय

(कोयला विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1979

का. आ. 745(अ).—कोयला खान भविष्य निधि और विविध व्यवस्थाएं अधिनियम, 1948 (1948 का 46) की धारा 3-ए की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत सरकार के इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सां. आ. 2151, दिनांक 10 जुलाई, 1978 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 1 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों में निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

1. अवर सचिव, भारत सरकार

इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय
(कोयला विभाग)
नई दिल्ली ।

[फा. सं. 1/1/79-सी.एम. डब्ल्यू.]

ए. एस. देशपाण्डे, उपसचिव

MINISTRY OF STEEL, MINES AND COAL

(Department of Coal)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 1979

S.O. 745(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948 (46 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 2151, dated the 10th July, 1978, namely :—

In the said notification, for serial No. 1 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

1. Additional Secretary to the
Government of India,
Ministry of Steel, Mines and Coal,
(Department of Coal),
New Delhi.

[F. No. 1/1/79-CMW]

A. S. DESHPANDE, Dy. Secy.